

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
 क्रमांक एफ 21 (7) 2022-23/विकास/प्रमुख/8908

दिनांक: 04/10/2023

कार्यालय आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा संख्या 266 (सामान्य वाद विवाद घोषणा संख्या 40) एवं वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा संख्या 120 की अनुपालना में प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए लव कुश वाटिका विकसित करने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 553-23 दिनांक 01.05.2023 एवं 979 दिनांक 16.05.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट आवंटन किया गया है। जिसमें निम्नानुसार संशोधित बजट आवंटन किया जाता है:-

(राशि रु. लाखों में)

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट			संशोधित आवंटित बजट			
			बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022-23) हेतु	बजट घोषणा संख्या 120 (वर्ष 2023-24) हेतु	योग	बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022-23) हेतु	बजट घोषणा संख्या 120 (वर्ष 2023-24) हेतु	योग	
4406-02-112-01-01 -16 लघु निर्माण कार्य	बीकानेर	उप वन संरक्षक, वन्यजीव, बीकानेर	46.00	0.00	46.00	100.23	0.00	100.23	
		उप वन संरक्षक, बीकानेर	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	
		उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	47.50	40.00	87.50	67.50	40.00	107.50	
		उप वन संरक्षक, चूरु	46.00	40.00	86.00	86.00	40.00	126.00	
		उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	46.00	40.00	86.00	46.00	40.00	86.00	
		उप वन संरक्षक, कोटा	47.50	40.00	87.50	87.50	40.00	127.50	
		उप वन संरक्षक, बांरा	46.00	40.00	86.00	76.00	40.00	116.00	
		उप वन संरक्षक, बूंदी	46.00	40.00	86.00	46.00	40.00	86.00	
		उप वन संरक्षक, झालावाड	46.00	40.00	86.00	76.00	40.00	116.00	
		उप वन संरक्षक, वन्यजीव राजसमंद	46.00	40.00	86.00	46.00	40.00	86.00	
		उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	46.00	40.00	86.00	66.00	40.00	106.00	
		कोटा							
		वन्यजीव उदयपुर							
उदयपुर									

(राशि रु. लाखों में)

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट				संगोष्ठित आवंटित बजट				
			बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022-23) हेतु	बजट घोषणा संख्या 120 (वर्ष 2023-24) हेतु	योग	बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022-23) हेतु	बजट घोषणा संख्या 120 (वर्ष 2023-24) हेतु	योग			
4406-02-112-01-01 -16 लघु निर्माण कार्य	अजमेर	उप वन संरक्षक, भीलवाडा	46.00	40.00	86.00	61.00	40.00	101.00			
			उप वन संरक्षक, नागौर	46.00	40.00	86.00	46.00	40.00	86.00		
			उप वन संरक्षक, जोधपुर	46.00	40.00	86.00	46.00	40.00	86.00		
			उप वन संरक्षक, जालौर	46.00	40.00	86.00	46.00	40.00	86.00		
			उप वन संरक्षक, बाडमेर	21.77	40.00	61.77	36.77	40.00	76.77		
			उप वन संरक्षक, पाली	46.00	40.00	86.00	61.00	40.00	101.00		
			उप वन संरक्षक, जैसलमेर	0.00	40.00	40.00	0.00	100.00	100.00		
			उप वन संरक्षक, वन्यजीव जैसलमेर	46.00	0.00	46.00	66.00	0.00	66.00		
			योग			760.77	680.00	1440.77	1060.00	740.00	1800.00
			4406-02-789-04-01 -16 लघु निर्माण कार्य	अजमेर	उप वन संरक्षक, अजमेर	50.00	40.00	90.00	50.00	40.00	90.00
उप वन संरक्षक, टांक	48.50	40.00				88.50	48.50	40.00	88.50		
उप वन संरक्षक, भरतपुर	50.00	40.00				90.00	50.00	40.00	90.00		
उप वन संरक्षक, करौली	50.00	40.00				90.00	50.00	40.00	90.00		
उप वन संरक्षक, धौलपुर	50.00	40.00				90.00	70.00	40.00	110.00		
उप वन संरक्षक, सवाईमाधोपुर	50.00	40.00				90.00	70.00	40.00	110.00		
उप वन संरक्षक, अलवर	44.00	40.00				84.00	64.00	40.00	104.00		
उप वन संरक्षक, दौसा	40.00	40.00				80.00	58.50	40.00	98.50		
उप वन संरक्षक, जयपुर	50.00	40.00				90.00	50.00	40.00	90.00		
उप वन संरक्षक, सीकर	50.00	40.00				90.00	50.00	60.00	110.00		
योग			541.50	440.00	981.50	640.00	460.00	1100.00			

(राशि रू. लाखों में)

बजट मद	मुख्य वन संरक्षक	उप वन संरक्षक	पूर्व में आवंटित बजट			सशोधित आवंटित बजट		
			बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022-23) हेतु	बजट घोषणा संख्या 120 (वर्ष 2023-24) हेतु	योग	बजट घोषणा संख्या 266 (वर्ष 2022-23) हेतु	बजट घोषणा संख्या 120 (वर्ष 2023-24) हेतु	योग
4406-02-796-02-01 -16 लघु निर्माण कार्य	उदयपुर	उप वन संरक्षक, उदयपुर	52.50	0.00	52.50	82.50	0.00	82.50
		उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	0.00	40.00	40.00		50.00	50.00
		उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	47.50	40.00	87.50	67.50	40.00	107.50
		उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	50.00	40.00	90.00	100.00	40.00	140.00
		उप वन संरक्षक, बांसवाडा	50.00	40.00	90.00	70.00	40.00	110.00
	जोधपुर	उप वन संरक्षक, सिरोही	50.00	40.00	90.00	70.00	40.00	110.00
		योग:-	250.00	200.00	450.00	390.00	210.00	600.00

1. उक्त आवंटित बजट का उपयोग करते समय इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 553-23 दिनांक 01.05.2023 से जारी दिशा - निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

2. उक्त आवंटित राशि का सम्पूर्ण उपयोग 31 अक्टूबर, 2023 तक सुनिश्चित किया जावे।

3. बजट का उपयोग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर उपापन (Procurement) एवं व्यय के संबंध में जारी परिपत्रों, कोष नियम एवं अन्य संबंधित नियमों के अनुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करते हुए बजट सीमा में करें।

६०

(पी.के.उपाध्याय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर

mf

कमांक एक 21 (7)2022-23 / विकास / प्रमुखस / 8909-58

दिनांक: 04/10/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर / बीकानेर / जोधपुर / कोटा / उदयपुर / जयपुर / अजमेर / वन्यजीव उदयपुर / वन्यजीव जोधपुर।
3. वित्तिय सलाहकार, वन विभाग, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक, बीकानेर / श्रीगंगानगर / चुरू / हनुमानगढ / कोटा / बारां / बूंदी / झालावाड / वन्यजीव राजसमंद / जैसलमेर / वन्यजीव बीकानेर / चित्तौडगढ / भीलवाडा / नागौर / जोधपुर / जालौर / बाडमेर / वन्यजीव जैसलमेर / पाली / अजमेर / टोंक / भरतपुर / करौली / सवाईमाधोपुर / धौलपुर / अलवर / दौसा / जयपुर / सीकर / झुंझुनू / उदयपुर (उत्तर) / उदयपुर / प्रतापगढ / डुंगरपुर / बांसवाडा / सिरोही।
5. प्रभारी अंकमिलान (लेखा शाखा) / संकलन शाखा (सांख्यिकी अनुभाग) / कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर अपलोड हेतु) / रक्षी पत्रावली।

(पी.के.उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास)
राजस्थान, जयपुर